कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो0ब0–61 / 2022– 495 **दिनांक :** 4/07/2023

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं राज्य वन
वृक्ष विज्ञानी, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत सीसल रेशा का उत्पादन एक वर्षीय कार्य हेतु **रू0 179.556 लाख (एक करोड़ उनासी लाख पचपन हजार छः सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0 ब0–36 / 2020–20 / स्वी0 व0प0 दिनांक 20.01.2023 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0ब0–36 / 2020–12 / TSP व0प0 दिनांक 18.05.2023।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–09 लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 179.556 लाख (एक करोड़ उनासी लाख पचपन हजार छः सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता हैः–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060179609000103	174.908
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060179609000323	4.448
प्रशिक्षण	19S24060179609000335	0.200
कुल :–		**179.556**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060179609000103, 19S24060179609000323, 19S24060179609000335 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक–1800/वि0, दिनांक–15.07.2003 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरुप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

6. (i) जिले में पदस्थापित 2 (दो) वन प्रमंडल पदाधिकारी की एक समिति को योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण का दायित्व प्रदान करेंगे तथा कार्य की गुणवता पर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।

(ii) कार्य योजना के अनुरुप योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे तथा योजना के कार्यान्वयन से विभाग को अवगत करायेंगे।

(iii) Regeneration Sites विकसित करने के क्रम में Web portal के माध्यम से Geo taggaing कराने से संबंधित योजना पर कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाय।

7. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जा जाएगा।

(VI) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VII) सभी भुगतान यथासंभव DBT या सीधे बैंक खाते/डाकघर के माध्यम से किया जायेगा।

(VIII) Invome Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(IX) कंडिका– VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

8. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना

के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

9. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

11. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वितीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत स्थायी अनुदेश सं0–1681 दिनांक–08.06.2015 एवं समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

14. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

15. वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1681 दिनांक–10.06.2015 की कंडिका–3 अनुसार इस योजनान्तर्गत आवंटित राशि में से 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक 50 प्रतिशत तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक शेष 50 प्रतिशत की निकासी की ज़ायेगी।

16. **प्रशिक्षण की राशि से स्थानीय लोगों को सीसल रेशा से हैण्डीक्राफ्ट बनाने हेतु प्रशिक्षित करने का कार्य किया जायेगा।**

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 4/7/2023

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–01/यो0ब0–61/2022– 495 दिनांक– 04/07/2023

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड/मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/पी0एम0यू0सेल, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक–01/यो0ब0–61/2022– 495 दिनांक– 04/07/2023

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

4/7/2023

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक– 1

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत सीसल रेशा का उत्पादन एक वर्षीय कार्य का प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 346.01 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (मे0टन में)	वित्तीय लक्ष्य			
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण व्यय	कुल
i	ii	iv	v	vi	vi	viii
क	वित्तीय वर्ष 2023–24					
1	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	150	174.908	4.448	0.200	179.556
योग :–		**150**	**174.908**	**4.448**	**0.200**	**179.556**

4/7/2023

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–2

योजना का नामः– लघु वन पदार्थों का उन्नयन योजना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में 01 मे0 टन सीसल रेशा का उत्पादन हेतु प्राक्कलन

मजदूरी दर रू0– 346.01/– प्रति मानव दिवस

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	आपूर्ति एवं सामग्री (रू0 में)	कुल (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
क	वित्तीय वर्ष 2023–24 (मजदूरी दर 346.01 रु0 प्रति मानव दिवस)				
1	1000 कि0 ग्राम शुष्क रेशा हेतु 33300 कि0 हरी पतियों का संग्रहण	143	49479.43	0.00	49479.43
2	33300 कि0 ग्राम हरे पत्तों को साईट प्लान्ट तक परिवहन व्यय	24	8304.24	0.00	8304.24
3	33300 कि0 ग्राम हरे पतियों का डीकोटेशन करने का कार्य	76	26296.76	0.00	26296.76
4	33300 कि0 ग्राम हरे पतियों से प्राप्त रेशा धुलाई सुखाने का कार्य	47	16262.47	0.00	16262.47
5	शुष्क सीसल रेशा का वजन करना बण्डल बनाना तथा भण्डारण कार्य	47	16262.47	0.00	16262.47
6	मोबिल, ग्रीस एवं मरम्मति इत्यादि पर व्यय	-	0.00	400.00	400.00
7	डीजल 1 दिन x 6 x 4.5 ली0 प्रति घंटा = 27 लीटर औसत @ 95/- = Rs. 2565.00	-	0.00	2565.00	2565.00
	योगः–	**337**	**116605.37**	**2965.00**	**119570.37**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-61/2022/495 दिनांक - 04-Jul-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179609000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	39543	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 03 - मजदूरी	17,490,800.00 रुपये एक करोड चौहत्तर लाख नब्बे हजार आठ सौ
2	S 19 24060179609000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	39545	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	444,800.00 रुपये चार लाख चवालीस हजार आठ सौ
3	S 19 24060179609000335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	39546	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 35 - प्रशिक्षण व्यय	20,000.00 रुपये बीस हजार

योग: रुपये एक करोड उन्नासी लाख पचपन हजार छः सौ 17,955,600.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 117.233.160.121 Run Date: 4/7/2023